उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.
दूरभाष : 0135.2608125 फैक्स : 2608126
ई मेल : ut-urrda@pmgsy.nic.in.
urrda@yahoo.com.

पत्रांकः 153 / /URRDA/14 दिनांकः 24 ~~मार्च~~ अप्रैल 2015

दिनांक 15.04.2015 पूर्वान्ह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यो में कार्यरत एस0क्यू0एम्स0 एवं अन्य अधिकारियों के साथ आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 15.04.2015 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन कार्यो की गुणवत्ता हेतु 2nd Tier गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली हेतु नियुक्त स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान किये गये निरीक्षणों के उपरान्त Feedback एवं सुझावों हेतु बैठक आहूत की गयी जिसमें कि समस्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं पी0आई0यू0 स्तर के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया (उपस्थिति पत्रक संलग्न)। सर्वप्रथम मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0, द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं स्टेट क्वालिटी मानिटर्स का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी जिसका कार्यवृत्त निम्नानुसार है –

राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एस0क्यू0सी0) द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान एस0क्यू0एम0/एन0क्यू0एम0 द्वारा किये गये निरीक्षणों तथा उनके द्वारा दी गयी ग्रेडिंग्स सम्बन्धी जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त वृत्तावार/खण्डवार विभिन्न कार्यो की लम्बित ए0टी0आर्स0 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया । इसके क्रम में मुख्य कार्यकारी महोदय द्वारा गुणवत्ता के आवश्यक सुधार लाने पर बल दिया गया तथा अधिकारियों को निम्न निर्देश दिये गये –

1. कुछ एस0क्यू0एम0 द्वारा 'यू' की ग्रेडिंग अधिक दी गई है तथा कुछ एस0क्यू0एम0 द्वारा 'एस' की ग्रेडिंग अधिक दी जा रही है। अतः यह निर्देश दिये गये कि कार्यो के गुणवत्ता के अनुरूप सही ग्रेडिंग दी जाये ताकि एकरूपता बनी रहें।
2. वर्ष 2014–15 में एस0कयू0एम0 द्वारा किये गये निरीक्षणों में असंतोषजनक कार्यो का प्रतिशत 16% जबकि एन0क्यू0एम0 द्वारा किये गये निरीक्षणों में 54% अंसतोषजनक कार्य रहें हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा अंसतोंषजनक कार्यो की सीमा 5% तक ही मान्य हैं, जिससे उत्तराखण्ड राज्य की भारत सरकार में खराब दृष्टि परिलक्षित होती हैं। अतः भविष्य में कार्यो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त जिन मोटर मार्गो के एन0क्यू0एम0/एस0क्यू0एम0 की लम्बित ए0टी0आर0 को 01 वर्ष से अधिक तथा 6 माह से अधिक हो चुके हैं, उन मोटर मार्गो पर अधीक्षण अभियन्ता स्वयं निरीक्षण कर कमियों को दूर करायें तथा सम्बन्धित ठेकेदार पर भी नियमानुसार कार्यवाही करें।
3. वर्तमान तक 59 ए0टी0आर0 एन.क्यू.एम. की लम्बित है, जिनको माह मई तक सत्यापित आवश्य करा लें जिस ठेकेदार द्वारा लम्बें समय से कमियो को दूर नहीं किया जा रहा उस पर Liquidity Damage लगायी जायें।
4. समस्त पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये कि ठेकेदार के साथ किये गये अनुबन्ध का भलि–भॉती अध्ययन करें तभी अनुबन्ध में किये गये प्रोविजन एवं शर्तो के अनुसार कार्य करायें।
5. प्रायः ठेकेदारों द्वारा सड़कों को मानको के अनुरूप निर्माण नहीं किया जा रहा हैं। जैसे मार्ग की चौड़ाई कर्व एच0पी0 बैन्ड एवं ग्रेड आदि । इसके लिये प्रथम स्तर गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू0एम0–1) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रत्येक पी0आई0यू0/अधीक्षण अभियन्ता को अपने निरीक्षण की Frequency बढ़ाने की आवश्यकता है।

...2

6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता डी0पी0आर0 का परीक्षण स्वयं करें। कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार समस्त प्राविधान डी0पी0आर0 में किये जायें जिससें निर्माण के दौरान विचलन/अतिरिक्त मद की आवश्यकता न पडें।

उपरोक्त निर्देशों के पश्चात् बैठक में उपस्थित एस0क्यू0एम0 द्वारा कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव तथा उन पर दिये गये निर्देश निम्नानुसार प्रस्तुत है –

1. श्री आर0वी0एस0 चौहान –

1. प्रत्येक 250 मी0 पर समुद्र तल से ऊचांई के अनुसार वैन्च मार्क बनाये जाये, इस पर अन्य एस0क्यू0एम0 द्वारा यह सुझाव दिया गया कि समुद्र तल की उंचाई से वैन्च मार्क लेने पर लेवल शिफ्ट करने में काफी समय लग सकता है। चुंकि T.B.M के आधार पर Reference Pillars एवं Back Cutting Pillars का प्राविधान पूर्व से ही डी0पी0आर0 में किया जाता है।
   अतः ठेकेदार को इन पीलर को बनाये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये जाय तथा जो पीलर निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाते है, उनका पुर्ननिर्माण कराने हेतु निर्देशित किया जायें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समस्त एस0क्यू0एम0 को निर्देशित किया गया कि वे अपनी रिपोर्ट में इन पीलरों का उल्लेख अवश्य करें यदि पी0आई0यू0 द्वारा इनके निर्माण/पुर्ननिर्माण में लापरवाही वरती जायगी तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
2. QC Ragister Part-1 में Hill Roads की आवश्यकतानुसार 88 पेज जो कि मैदानी भाग की सड़कों के लिये है को हटाते हुए शेष पेजो को वाईन्ड करा लिया जायें, इस पर निर्णय लिया गया है कि एन0आर0आर0डी0ए0 में वार्ता करने के पश्चात् उनकी सहमति होने पर नयें QC Ragister Part-1 वाइन्ड करा लिये जायेगें।
3. खण्ड़ो में Super Elevation के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं होते। अतः पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये की प्रत्येक खण्ड में कैम्बर बोर्ड रखे जायें।
4. एस0क्यू0एम0 द्वारा भरे जाने वाले निर्धारित प्रपत्र में रिटेंनिंग वॉल को Slope Protection में माना जाय अथवा नहीं इस पर यू0आर0आर0डी0ए0 के अधिकारियों द्वारा समस्त एस0क्यू0एम0 को निर्देश दिये गये कि केवल हिल साइड में लगाये जाने वाले B/W, Wire Crates, Slope Pitching एवं अन्य GEO-Methods का ही उल्लेख ही प्रपत्र करें।
5. सिटीजन बोर्ड में मात्राऐं Round Figure में ही लिखी जायें तथा भाषा हिन्दी हों।
6. कार्यस्थल के लिए Cross Section एवं L- Section की डाइंग में A-4 साइज में तैयार किये जाये, जिससे आसानी होगी।
7. पत्थरों की चिनाई में उपयोग में आने वाले बॉन्ड स्टोन प्रायः नहीं लगाये जा रहे है जिनको मानको के अनुरूप लगाया जायें।

2. कर्नल विशम्भर लाल –

1. पी0आई0यू0 द्वारा एस0क्यू0एम0 को उनके निरीक्षण के लिये कोई सम्पर्क नहीं किया जाता है।
2. एस0क्यू0एम0 के निरीक्षण से पूर्व किसी भी पी0आई0यू0 द्वारा पार्ट–1 भरकर एस0क्यू0एम0 को उपलब्ध नहीं कराये जाते है।

   उक्त बिन्दुओं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समस्त पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये कि वे स्वयं एस0क्यू0एम0 से निरीक्षण की तिथि/Schedule के सम्बन्ध में वार्ता करें, तदानुसार पी0आई0यू0 भी उनके साथ निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहें।
3. खण्डों के कार्यालय में उनके खण्ड के अंतर्गत कार्यो की एम0पी0आर0 (मासिक प्रगति रिपोर्ट) नहीं तैयार की जा रही हैं।
4. Citizen Information Board एवं Sign Board सामान्यतः नहीं मिलते हैं। जहां बोर्ड है तो उनकी उचित ग्राउंटिग नही की जाती है जिससे बोर्ड उखड़ जाते है।
5. स्टेज–। की कटिंग से पूर्व मार्ग की Centre line की Marking नहीं की जाती है, जिससे कृषि भूमि वाले भाग में मोटर मार्ग की चौड़ाई 6.0 मी0 से अधिक हो रही हैं, ताकि कृषि भूमि का नुकसान हो रहा है एवं मुआवजा भी अधिक देना पड़ेगा (उदाहरण के लिए जनपद अल्मोड़ा में मांसी–कबडोला मार्ग)
6. मोटर मार्गो में Catchpit का निर्माण Outer से Inner की ओर होना चाहिए जबकि Inner से Outer की ओर बनाये जा रहे है।

Created by : Himanshu/Destton/SOM Meeting

7. पैरामेट निर्धारित मानचित्र के अनुसार ही बनाये जायें, उनमें Plaster/Pointing मानको के अनुसार हो।
8. स्टेज–।। के मार्गो में टेस्टिंग के दौरान रोड सरफेस में जो पैच टेस्टिंग के लिए काटा जाता है, उसका रिपेयर नहीं किया जाता हैं, जिससे वहां पर Pot hole बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जनपद नैनीताल में देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग ।
9. अत्यधिक दुर्गम स्थानों में प्राथमिक उपचार हेतु Ist Aid Box भी उपलब्ध होना चाहिए।
10. QC Ragister Part-I एवं II में सहायक अभियन्ता का नाम भरा नही होता है। अतः जिसको भी निर्गत हो उसका नाम सभी रजिस्टरों के अंकित किया जाय।
11. हर कार्यस्थल पर अलग साइट लैब उपलब्ध नहीं होती है। इस पर सभी पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये कि यदि ठेकेदार साइट लैब स्थापित नहीं करता है अथवा उसमें Equipment नहीं रखता है तो उस पर अनुबन्ध की शर्त के अनुसार कार्यवाही की जाय।
12. जनपद रूद्रप्रयाग में धद्दी सेरा से बन्सी मोटर मार्ग में कटिंग कार्य Systematic नही किया जा रहा हैं। इसके लिए पी0आई0यू0 को कड़े निर्देश दिये गयें।
13. उत्तरकाशी जनपद में बड़कोट–भाटिया मोटर मार्ग में जी0–3 तक का कार्य पूर्ण कर लिया है, लेकिन मोटर मार्ग की चौड़ाई पूरी नहीं है। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा काफी नराजगी व्यक्त की गई तथा जांच के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि स्टेज–2 के कार्यो को करने से पूर्व स्टेज–1 के कार्य मानको के अनुरूप पूर्ण किये जाय।
14. कॉस डेनेज कार्यो में Cause Way अथवा Scupper की डी0पी0आर0 की स्थिति (Location) तथा प्रकार (Type) प्राविधान के अनुसार निर्मित नहीं किया गया हैं।
15. नैनीताल जिले के देवीपुरा सौड़ में पहले Cause Way बनाया गया परन्तु उसके नीचे आबादी होने से फिर पक्की ड्रेन बना कर पानी की निकासी अब दुसरे स्थान पर से की जा रही हैं। जिससे उक्त Cause Way का निर्माण बेकार हो गया है। अतः समस्त पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये कि इस प्रकार के कार्यो की पुनरावृत्ति कार्य स्थल पर न हों।
16. पुलो का स्थल चयन पूर्व में ही तय कर लिया जा रहा है, जिससे निरीक्षण के दौरान यह महसूस किया गया कि पुलों की लम्बाई कम हो सकती है तथा अच्छा स्ट्रेटा भी अच्छा मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर चम्पावत जनपद खटोली–मल्ली में 70 मी0 स्पान पुल निर्माणधीन के यदि Hill side में बनाया जाता तो firm Ground मिलता तथा पुल का स्पान भी कम हो सकता था, इसी प्रकार नैनीताल जिले के फतेहपुर बेल बसानी मोटर मार्ग में निर्माणधीन 2 पुल क्रमशः 36 मी0 के स्थान पर 18.00 मी0 ही पर्याप्त होते।
17. गुणवत्ता की दृष्टि से पुलों के अबेंटमेंट में सिमेन्ट का प्रयोग एक ही ब्रान्ड कम्पनी का होना चाहिए।
18. Cause Ways में उचित Weep Holes नहीं बनाये जा रहे हैं तथा इनका उचित प्रकार से सुरक्षात्मक कार्य भी नही किये जा रहे है।
19. Sub Base एवं Base work में Flakiness Test के लिए पर्याप्त सीव (छननियॉ) कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं होती है। अतः समस्त पी0आई0यू0 को यह निर्देश दिये गये कि कार्यस्थल की प्रयोगशाला में समस्त आवश्यक उपकरण रखे जाय।
20. समान्यतः हैक्टोमिटर स्टोन कार्यस्थल पर नहीं मिलते है जिस पर सभी पी0आई0यू0 को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थल पर निर्धारित ड्राइंग के अनुसार हैक्टोमिटर स्टोन एवं एज स्टोन को लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय।
21. Blow Horns का साइन बोर्ड मोटर मार्गो में नहीं मिलते हैं। अतः इसका डी0पी0आर0 में प्राविधान किया जाये तथा स्थल पर भी निर्मित किये जाय।

3. श्री सलेख चन्द्र –

1. Granular Sub Base (GSB) की अधिक मोटाई में होने पर ठेकेदार द्वारा अलग–2 सतहों (Layers) में बिछाने के स्थान पर एक बार में बिछाई जा रही है।
2. कार्यस्थल पर सहायक अभिरून्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता के पास स्क्रू गेज, वर्नियर कैलीपर यहां तक की स्टील टेप तक उपलब्ध नहीं होते है, जिससे पुलों/सड़कों का उचित निरीक्षण नहीं हो पाता है।
3. पुलों में डी0पी0आर0 के अंदर Pipe Railing का प्राविधान है परन्तु कार्यस्थल पर Angle Iron का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें कुछ एस0क्यू0एम0 का मत था कि Angle Iron की वैल्डिगं सही तरीके हो जाती है। अतः यदि Angle Iron उचित है तो डी0पी0आर0 में भी उसी का प्रविधान किया जाय।

4. बैजरों पी0आई0यू0 के अंतर्गत असवानी–डिसवानी मोटर मार्ग 21.0 किमी0 का है और मार्ग एक भी टेस्ट नहीं किये गये है। इस पर पी0आई0यू0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग पर टेस्ट हुए है। अतः पी0आई0यू0 को निर्देशित किया कि उक्त गुणवत्ता रजिस्टर को यू0आर0आर0डी0ए0 में प्रस्तुत किया जाय।
5. Quality Ragister में Bitumen test, Stone Masnary Test एवं RCC Test हेतु Standard Form नहीं हैं। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि यू0आर0आर0डी0ए0 स्तर से फार्म निर्धारित कर सभी पी0आई0यू0 को निर्गत किये जाय।
6. साइट लैब में वहीं उपकरण रखे जाये जिनकी पर्वतीय मोटर मार्गो में आवश्यकता हो इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि यू0आर0आर0डी0ए0 स्तर पर कुछ एस0क्यू0एम्स0 के साथ अलग से बैठक कर आवश्यक फील्ड टेस्ट तथा उनके लिए आवश्यक उपकरणों की सूची तैयार कर समस्त पी0आईयू0 को निर्गत किया जाय।
7. डीडीहाट में पान्द्रपाला–कोटा मोटर मार्ग में आर0सी0सी0 स्लैब के स्कपरों के ढाल उल्टे पाये गये, अतः इस सम्बन्ध में पी0आई0यू0 इन स्क्परों को ठीक कराने के निर्देश दिये गये।

4. श्री एम0एस0 तिवारी –

1. बिना समयवृद्धि के कार्य नहीं कराये जाने चाहियें। ठेकेदार का कार्य उसी स्तर पर बन्द कर देना चाहिए।
2. अतिरिक्त मद/विचलन के कार्य बिना स्वीकृति नहीं कराये जायें।

उक्त के विषयों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पी0आई0यू0 को निर्देश दिये गये कि कार्य प्रारम्भ से पूर्व अनुबन्ध का अध्ययन करें तथा उसकी शर्तों के अनुसार कार्य करायें।

3. अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा कार्यो का निरीक्षण पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता हैं, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रारूप में इसकी सूचना यू0आर0आर0डी0ए0 को भेजने के निर्देश दिये गये।
4. पूर्ण कार्य का निरीक्षण पी0आई0यू0 द्वारा तुरन्त कराना चाहिऐं, कभी–2 एक साल बाद निरीक्षण कराया जाता है, तब तक में मार्ग में काफी क्षतियॉ हो चुकी होती है।

5. कर्नल आर0के0 शर्मा –

1. मोटर मार्ग का जब तक वित्तीय अंतिमीकरण नहीं हो जाता तब तक उस ठेकेदार की साइट लैब मौजूद रहनी चाहिए, जबकि ठेकेदार द्वारा भौतिक रूप पूर्ण करने के उपरान्त लैब शिफट कर दी जाती है।

6. श्री पी0सी0 जोशी –

1. पुल का निर्माण निर्धारित डिजाइन एवं ड्रांइग के अनुसार निर्माण किया जा रहा है अथवा नहीं, का परीक्षण ही कार्यस्थल पर सम्भव हैं। अतः एस0बी0डी0 में पुलों के Load test की प्राविधान एवं इसका परीक्षण कर लिया जाय।
2. पुलों के Deck Slab की Concrete का मिक्स डिजाइन किया जाय तथा क्यूब टेस्ट 7 दिनों के बाद करने पर उसके बाद ही आर0सी0सी0 लेयर डाली जाय।
3. उत्तरकाशी में जोगत मल्ला मोटर मार्ग पर शुरू में 200 मी0 अभी बिना काटे आगे के मार्ग में दैवीय आपदा के कार्य कराये जा रहे है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को उक्त कार्य की जांच हेतु निर्देशित किया गया।
4. ऐता चरेख मोटर मार्ग कई स्थानों में Heavy Cronic ship zone बन चुके है। इस मोटर मार्ग में स्टेज–2 का कार्य प्रगति पर है अतः मार्ग में स्लीप को हटाने हेतु ठेकेदार के अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

7. श्री पी0सी0 नौटियाल–

1. ठेकेदारों के पास तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं होता है। इस विषय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि अनुबन्ध में ठेकेदार द्वारा तकनीकी स्टाफ के वेतन को नहीं दर्शाया गया है तो सामान्यतः विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन के बराबर ठेकेदार के बिल से धनराशि की वसूली की जाय।

...5

2. एक ठेकेदार द्वारा कई सड़कों के लिए Lab Equipment का एक ही सैट रखा जाता है और जबकि अनुबन्ध में प्रत्येक कार्य के लिए अलग से लैब स्थापित की जानी होती हैं।

इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समस्त पी0आई0यू0 को निर्देशित किया गया है कि अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए अलग साइट लैब स्थापित करायें अन्यथा उस पर अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जाय।

8. श्री वदन सिंह –

1. मोटर मार्गों में कटिंग कम की जा रही हैं तथा दिवारों पर सड़के निर्मित हो रही हैं, इस बिन्दु पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समस्त पी0आई0यू0 को कड़े निर्देश दिये गये कि पहले ठेकेदार से पूरी चौड़ाई में कटिंग कार्य कराये जाय उसके बाद आवश्यक स्थानों में दीवारों का निर्माण किया जाय।
2. स्टेज–।। का कार्य तभी किया जाय जब तक की स्टेज–1 का कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।
3. पी0सी0 कार्य तथा सील कोट में प्रयोग होने वाले Material की Testing आवश्यक रूप से की जाय।

9. श्री वी0एल0 गुप्ता –

1. ए0टी0आर0 फार्म में पी0आई0यू0 द्वार पूरी Detail नही भरी जाती हैं।
2. निरीक्षण के दौरान अंतिम दिन पी0आई0यू0 के साथ एक बैठक आवश्य होनी चाहियें।
3. कई मार्गो में चैनेज तक मार्क नहीं है।
4. कई पी0आई0यू0 द्वारा टेस्ट नही किये जा रहे है तथा पार्ट–2 रजिस्टर नहीं भरा जा रहा है।
5. अधीक्षण अभियन्ता/पी0आई0यू0 द्वारा भी स्वयं अपने रजिस्टर में उल्लेख किया जाय।

10. श्री एस0सी0 गोयल –

सी0सी0 वर्क एवं आर0सी0सी0 कार्य तथा स्टोन मैसनरी कार्य में तराई पर्याप्त नही जा रही हैं।

11. श्री डी0एस0 रावत –

कार्य स्थल पर साइट लैब अलग – अलग कार्य हेतु स्थापित नही हैं।

12. श्री वी0के0 सक्सेना –

मार्ग के प्रारम्भ में स्थायी बैंच मार्क के आधार पर पूरी लम्बाई में Reference Pillars & Back Cutting Pillars बनाये जाते है। परन्तु अधिकांश मार्गो पर या तो बनते नहीं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

बैठक के अन्त में कार्यो की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उपरोक्त एस0क्यू0एम0 द्वारा दिये सुझाव एवं कमियों के निराकरण करने के लिए अपने स्तर से पूर्ण प्रयास किये जाये। अन्त में मुख्य अभियन्ता द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं एस0क्यू0एम0 को धन्यवाद देते हुए बैठक को समाप्त किया गया।

उपरोक्त बैठक के पश्चात् यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये

1. समस्त पी0आई0यू0 उनके क्षेत्र के कार्य के निरीक्षण हेतु प्रत्येक माह यू0आर0आर0डी0ए0 स्तर से भेजे जाने वाले एस0क्यू0एम0 से स्वयं सम्पर्क स्थापित करेंगे तथा उनके निरीक्षण से पूर्व पार्ट–1 प्रपत्र को भरकर एस0क्यू0एम0 को प्रस्तुत करेंगे।
2. पी0आई0यू0 द्वारा एन0आर0आर0डी0ए0 के गाईडलाइन्स के अनुसार एन0क्यू0एम0 एवं एस0क्यू0एम0 की ए0टी0आर0 यदि तीन माह से अधिक समय से लम्बित रहती है तो उस ठेकेदार पर नियमानुसार अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही की जायेगी।
3. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पी0आई0यू के साथ प्रत्येक माह मासिक बैठक की जायेगी जिसमें लम्बित ए0टी0आर0 का भी अनुश्रवण किया जायेगा तथा इसकी सूचना प्रत्येक अधीक्षण अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

...6

4. कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह में कार्यो का निरीक्षण करेंगे तथा उनके द्वारा अपने समक्ष प्रयोगशाला में आवश्यक परीक्षण किये जायेगे तथा इनकी Entry गुणवत्ता रजिस्टर में भी की जायेगी, इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर यू0आर0आर0डी0 को प्रेषित की जायेगी।
5. जिन कार्यो में एन0क्यू0एम0 एवं एस0क्यू0एम0 द्वारा असंतोषजनक ग्रेडिंग (यू) दी जाती है उन कार्यो का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता स्वयं करेंगे तथा कार्यो में आवश्यक सुधार लाकर तीन माह के अंतर्गत इसका सत्यापन कराने के निर्देश पी0आई0यू0 को देगे।
6. स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा जब भी कार्यो का निरीक्षण किया जायेगा तो उनके द्वारा एक तकनीकी नोट अलग से प्रेषित किया जायेगा जिसमें कि इसका भी उल्लेख हो कि उस कार्य पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया गया है तथा प्रयोगशाला में कितने परीक्षण उनके द्वारा अपने सामने किये गये।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यस्थल पर जो भी कार्य कराये जा रहे है वे निर्धारित मानको एवं स्वीकृत डिजाइन एवं ड्रांइग के अनुसार हो, इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर अपना तकनीकी स्टाफ नियुक्त किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं किया गया है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा कार्यो की प्रगति उनके अनुबन्धों में निर्धारित माईल स्टोन के अनुसार है अथवा नहीं। यदि ठेकेदार द्वारा धीमी प्रगति से कार्य किये जा रहे हो तो उन पर नियमानुसार अर्थदण्ड लगाने के पश्चात ही समयवृद्धि स्वीकृत की जाय।
9. अधिशासी अभियन्ता/पी0आई0यू0 द्वारा समस्त निर्माणाधीन एवं निर्मित मोटर मार्गो में एन0आर0आर0डी0ए0 द्वारा निर्धारित मानचित्र के अनुरूप नागरिक सूचना बोर्ड को हिन्दी में लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसका सत्यापन स्वयं अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा भी किया जायेगा।
10. कार्यस्थल पर स्थापित की जाने वाली प्रयोगशाला में रखे जाने वाले उपकरण तथा आवश्यक परीक्षणों की सूची यू0आर0आर0डी0ए0 स्तर से समस्त पी0आई0यू0 को अलग से प्रेषित कर दी गई है।
11. अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्टेज–। के कार्यो में सर्वप्रथम पूर्ण लम्बाई में मोटर मार्गो की मानकों के अनुसार पूरी चौड़ाई में कटिंग का कार्य किया जायेगा तथा उसके उपरान्त ही आवश्यक स्थानों पर रिटेनिंग वॉल, ब्रैस्ट वॉल एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं से स्वीकृति लेकर कराये जायेंगे।

(ए0के0 दिनकर)
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 गढ़वाल/कुमॉऊ क्षेत्र, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय – यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड़।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़, उत्तराखण्ड़।
7. समस्त एस0क्यू0एम0, यू0आर0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड़ ।
8. गार्ड पत्रावली।

(ए0के0 दिनकर)
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0